

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ५ सन् २०२३

### मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, २०२३

वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०२३ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये सोलह हजार तीन सौ उनतीस करोड़ पचास लाख सात हजार होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

वित्तीयवर्ष २०२२-२०२३ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,६३,२९,५०,०७,००० का दिया जाना.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

विनियोग.

#### अनुसूची

( धारा २ और ३ देखिये )

( आंकड़े रुपयों में )

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
..	भारत विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	०	१००	१००
००७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	८९,७०,००,१००	०	८९,७०,००,१००
००८.	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय.	राजस्व	२००	०	२००
०१०.	वन	राजस्व	४,८००	०	४,८००

(१)	(२)	राजस्थानी राजस्व (३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०११.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	राजस्व	५,५०,००,००,०००	० ५,५०,००,००,०००
०१२.	ऊर्जा	राजस्व	२७,३४,४४,००,०००	० २७,३४,४४,००,०००
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास.	राजस्व	५३,५२,५०,४९,१००	० ५३,५२,५०,४९,१००
०१८.	श्रम	राजस्व	६,३६,००,००,०००	० ६,३६,००,००,०००
०१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	१४,३७,८२,६७,०००	० १४,३७,८२,६७,०००
		पूंजी	१,१५,०४,६६,०००	० १,१५,०४,६६,०००
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास	राजस्व	१४,७३,५९,००,२००	० १४,७३,५९,००,२००
		पूंजी	२,०००	० २,०००
०२३.	जल संसाधन	राजस्व	२००	० २००
		पूंजी	३,००,००,००,०००	० ३,००,००,००,०००
०२४.	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	१,७१,००,००,०००	० १,७१,००,००,०००
		पूंजी	५,९००	० ५,९००
०२६.	संस्कृति	राजस्व	१०,८६,००,०००	० १०,८६,००,०००
०२७.	स्कूल शिक्षा	राजस्व	१००	० १००
०३०.	ग्रामीण विकास	राजस्व	१०,३७,८०,००,०००	० १०,३७,८०,००,०००

(१)	(२)	(३)	(३)	(३)
		रुपये	रुपये	रुपये
०३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व १६,१०,००,२०० पूंजी १८,८२,८३,६००	०	१६,१०,००,२०० १८,८२,८३,६००
०३२.	जनसंपर्क	राजस्व ८२,००,००,०००	०	८२,००,००,०००
०३४.	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राजस्व १,७६,७८,१२,८००	०	१,७६,७८,१२,८००
०३५.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राजस्व ६,७६,८६,५२,००० पूंजी १,२५,३०,०००	०	६,७६,८६,५२,००० १,२५,३०,०००
०३७.	पर्यटन	राजस्व ५१,८५,००,०००	०	५१,८५,००,०००
०४०.	पंचायत	राजस्व १००	०	१००
०४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व २०,००,००,२००	०	२०,००,००,२००
०४६.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राजस्व २०,००,००,००० पूंजी १,२५,००,००,०००	०	२०,००,००,००० १,२५,००,००,०००
०४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.	राजस्व ६५,००,००,२००	०	६५,००,००,२००
०४८.	नर्मदा घाटी विकास	राजस्व ७५,००,००,००० पूंजी ९,००,७५,००,०००	०	७५,००,००,००० ९,००,७५,००,०००
०४९.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व ३५,००,००,०००	०	३५,००,००,०००

(१)	(२)	(३)	(४)
		रुपये	रुपये
०५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व २००	० २००
०५२.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व २९,८८,००,०००	० २९,८८,००,०००
०५४.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व १,००,००,००,०००	० १,००,००,००,०००
०५५.	महिला एवं बाल विकास	पूंजी २६,४२,३२,०००	० २६,४२,३२,०००
योग :		राजस्व : १,४८,४२,१९,८७,४००	० १,४८,४२,१९,८७,४००
		पूंजी : १४,८७,३०,१९,५००	१०० १४,८७,३०,१९,५००
वृहद-योग :		१,६३,२९,५०,०६,९००	१०० १,६३,२९,५०,०७,०००

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :  
तारीख १४ मार्च, २०२३.

जगदीश देवड़ा  
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७(३) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.